न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) – जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा
2. प्रकरण संख्या : 102/2020
3. उनवान : सरकार जरिये श्री सरोज मीणा, प्रवर्तन अधिकारी

बनाम

श्री इंदु खान पुत्र श्री सोन्या खान, दुकान नम्बर 4, शार्दुल सिंह मार्केट, खातीपुरा मैन रोड जयपुर।

4. निर्णय दिनांक : 12.04.2024
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

प्रार्थी प्रवर्तन अधिकारी, जयपुर श्री सरोज मीणा द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 पेश कर निवेदन किया है कि दिनांक 17.01.2019 को मय जांच दल के घरेलू गैस सिलेण्डर का वाणियिजिक उपयोग की शिकायत की जांच हेतु दुकान नं. 4, शार्दुल सिंह मार्केट, खातीपुरा मैन रोड पर पंहुचे। मौके पर इंदु खान उपस्थित मिले जिन्होंने स्वयं को फर्म मालिक एवं दुकान किराये पर होना बताया, जिनकी उपस्थिति में फर्म पर जांच कार्यवाही की गयी। मौके पर एक घरेलू गैस सिलेण्डर (आईओसी) को रबर पाईप को पीतल के रेग्यूलेटर के साथ जोडकर चाय बनाने के कार्य में उपयोग करते हुए पाया गया। दुकान की तलाशी में एक घरेलू सिलेण्डर (आईओसी) रखा पाया गया। मौके पर अप्रार्थी ने दुकान एवं सिलेण्डरों के संबंध में किसी प्रकार के अनुज्ञापत्र, दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये ना ही उनके संबंध में कोई संतोषजनक जवाव दिया। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा 2 घरेलू सिलेण्डर (आईओसी) मय 15.500 किग्रा. व एक रेग्यूलेटर मय रबर के जब्त कर फर्द मौका, फर्द अभिग्रहण, सुपुर्दगीनामा आदि की प्रति पेश कर निवेदन किया है कि जब्त वस्तुओं को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6–ए(2) के तहत राजसात करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी को नोटिस सम्यक रुप से तामील है। अप्रार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं। अप्रार्थी ने आज दिनांक तक कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया। तत्पश्चात प्रकरण लम्बे समय तक बहस में नियत रहने के दौरान अप्रार्थीगण को बार–बार आवाज लगवाई गयी। परन्तु अप्रार्थी/अभिभाषक में से कोई उपस्थित नही हुआ। प्रार्थी पैरोकार सरकार द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए जब्त वस्तुओं को राजसात करने का निवेदन किया। तदुपरान्त पत्रावली दिनांक 12.04.2024 को आदेश हेतु रखी गई।

हम प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन व मनन कर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि दिनांक 17.01.2019 को जब्त घरेलू सिलेण्डरों का चाय की दुकान पर वाणिज्यिक उपयोग किया जा रहा था। अप्रार्थी ने जब्त सिलेण्डरों से संवधित कोई भी दस्तावेज मौके पर व आज दिनांक तक पेश नहीं किये। मौके पर घरेलू गैस सिलेण्डर (आईओसी) को रबर पाईप को पीतल के रेग्यूलेटर के साथ जोडकर चाय बनाने के कार्य में उपयोग करते हुए पाया गया। जिससे घरेलू सिलेण्डर का वाणिज्यिक उपयोग पुष्ट होता है। प्रकरण में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भी जब्त सामग्री के संबंध में कोई क्लेम नहीं किया गया है। अतः उक्त कृत्य द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 का स्पष्ट उल्लंघन है। ऐसी स्थिति में फर्दानुसार प्रार्थी द्वारा जब्त 2 घरेलू सिलेण्डर (आईओसी) मय 15.500 किग्रा. व एक रेग्यूलेटर मय रबर को राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम को निर्देश दिये जाते हैं कि जब्त वस्तुओं का विधिवत अन्तिम निस्तारण कर राशि राजकोष में जमा कराकर पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12.04.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकुमार कस्वा)
अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर।

अतिरिक्त कलक्टर
(तृतीय) जयपुर